International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 12 Ser. I || December 2019 || PP 71-73

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समस्याएं एवं समाधान

डॉ0 मधुकर श्याम शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज
शाहजहॉपुर

डॉ0 राम शंकर पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज शाहजहॉपुर

भारत सरकार के 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगो की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नया ऋण संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्दयम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर एमकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयेग करेगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चयनित बैंको के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातें मे वितरित करने के लिए दी जाएगी। कार्यान्वयी अभिकरण अर्थात् खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और लिला उद्योग केन्द्र योजना के कार्यान्वयन में विशेष रूप से लाभार्थियो के चयन, क्षेत्र– विशष्ट लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनो/प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओ/स्वयं सहायता समूहों राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमो/राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत सूचिवद्ध अन्य संबंधित निकायो को अपने साथ संबद्ध करेंगे।

योजना के उद्देष्य :– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. नये स्वरोजगार उद्समों/परियोजनाओं/सूख्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरो का सृजन करना।
2. ब्यापक रूप से दूर–दूर आस्थित परम्परागत कारीगरो/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहाँ तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. देश के परम्परागत और संभावित अधिकतर कारीगरो, ग्रामीण तथा बाहरी बेराजगारे युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।
4. कारीगरो की पारिश्रमिक–अर्जन क्षमत बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

वित्तीय सहायता :– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत धनराशि दो प्रमुख शीर्षों के तहत उपलब्ध होगी।

(i) मार्जिन मनी सब्सिडी–

1. नये सूक्ष्म उद्योगो (इकाइयों) की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के संवितरण की दिशा में वार्षिक बजट अनुमानों के तहत आबंटित किया जाएग।
2. मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट प्रक्कलन के तहत आबंटित धनराशि से 100 करोड़ रुपये या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि मौजूदा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना इकाइयों के उन्नयन हेतु मार्जिन मनी के संवितरण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उद्दिष्ट की जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समस्याएं

(PMSRY) का कार्यान्वयन खादी ग्रामोद्योग केन्द्र के माध्यम से सरकार करती है इसके लिए सरकार समय–समय पर योजनाओं के माध्यम से देश की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करती है। परन्तु इस योजना का लाभ जिस स्तर पर मिलना चाहिए पात्रतों को नही मिल पाता। सरकार बचनवद्ध है, कि वह ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेगी। लोगो को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

शोधार्थिनी ने जनपद शाहजहाँपुर के खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र से सम्पर्क करके जपनद में चल रही इकाइायों का भ्रमण किया तथा अपने व्यक्तिगत जानकारी के शोध से इस उद्योग की समस्याओं का अवलोकन किया। उनमें से कुछ समस्याएँ निम्नलिखित है :–

1. **जानकारी का आभाव :–** जनपद शाहजहाँपुर में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी उपलब्ध नही हो पाती लोगों को यही नही पता लगता कि केन्द्र के द्वारा कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जायेंगे तथा

उनका चयन एवं मापदण्ड क्या होगा? इन सब बातों के अभाव में जरूरतमन्द को जानकारी नही हो पाती वे छूट जाते है।

2. **ऋण स्वीकृति में बाधा :–** लाभार्थियों का चयन हो जाने के बाद संबंधित बैंक उनका ऋण स्वीकृत नही करते तथा लाभार्थी को बैंको के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। यदि स्वीकृत हो भी जाए तो लाभार्थी को सयम से भुगतान नही मिल पाता। बैंक के कर्मचारी की उदासीनता लापरवाही संबंधित व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट देती है।

3. **भ्रष्टाचार की समस्या :–** जो व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करना चाहता है, वह फॉर्म भरने तथा भुगतान होने तक भ्रष्टाचार से झूझता रहता है। खादी ग्रामोद्योग केन्द्र पर बिना पैसे दिये फॉर्म स्वीकृत नही होता तथा संबंधित बैंक के प्रबन्धक लोग बिना पैसे के फाइल में कोई न कोई कमी दिखाकर लाभार्थियों को परेशान करते है तथा सुविधा शुल्क मिलने पर भुगतान कर देते है।

4. **सरकार की उदासीनता :–** संबंधित लाभार्थी भ्रष्टाचार से परेशान होकर यदि खादी ग्रामोद्योग के किसी कर्मचारी अथवा बैंक की शिकायत शासक से करता है तो संबंधित अफसर शिकायत पर ध्यान नही देते तथा व्यक्ति को दण्ड देने के स्थान पर लाभार्थी को ही परेशान करते है। अन्त में लाभार्थी चक्कर लागाते–2 अपने घर बैठ जाता हैं

5. **कच्चे माल की समस्या :–** इस योजना का उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना है। जिससे उनकी निर्धनता दूर हो सके। परन्तु वित के अभाव प्राकृतिक साधनो का पूर्णदोहन न होने के कारण इन इकाइयों को कच्चे माल की समस्या से झूझना पड़ता है तथा ऊँचे दामो पर खरीदकर काम चलाना पड़ता है।

6. **प्रषिक्षण की समस्या :–** अधिकांश इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् है। इन इकाइयों मे काम करने वाले लोग कम पढ़े–लिखे होते है उन्हे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नही होता और वह उत्पादन परम्परागत इन इकाइयों को लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है।

समस्याओं का समाधान

भारत की अथव्यवस्था में प्रमुख भाग कृषि से संबंधित है। लेकिन यह विडंम्बना है कि कृषि करने वाले आज सबसे कम आय वाले लोग है। कृषि श्रमिक गरीबी में ही जन्म लेते हैं और जीवन पर्यन्त गरीब रहकर अन्त में गरीबी में ही भगवान का प्यारे हो जाते हैं। जब तक हमारी जनता निर्धन और गरीब है, तब तक हमारे गाँव का, हमारे प्रदेश का विकास नही हो सकता है।

स्वतंत्रता के बाद गरीबी और निर्धनता हमें विरासत में मिली अनेक सरकारें आई और उन्होनें पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत से कार्यक्रम और योजनायें चलाई। परन्तु इन कार्यक्रम और योजनाओं का सही फायदा उन लोंगो को नही हुआ जिन्हे इनकी आवश्यकता थी। वर्तमान योगी सरकार ने भी लघु और कुटीर उद्योंगो को प्रोत्साहन दिया और नई योजनायें बनाकर लागू किया। सरकार की यह मंशा है कि इन योजनाओ की सफलता जनता के फायदे पर निर्भर करती है, इसमें जो कुछ कमियाँ है, उन्हे दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत् है कुछ समाधान शोधार्थिनी को समझ में आये है जिनका वर्णन निम्न है :–

1. **पर्याप्त प्रचार–प्रसार :–**सरकार को चाहिए कि संबंधित जिले में अखबार पत्रिकायें एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से PMRSY की जानकारी एवं इसकी मादण्ड जनता को वतायें जिससे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस योजना से लाभान्वित हो। लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। सवकुछ ऑनलाइन होने पर जिसका हक है उसको उसका फायदा मिलेगा।

2. **जबावदेही :–** संबंधित व्यक्ति जब ऋण के लिए फॉर्म जमा करता है, तब उसे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए यदि किसी कार्यवश उसका आवेदन निरस्त होता है, तो संबंधित व्यक्ति को इसका कारण बताना चाहिए। बैंक के द्वारा ऋण अस्वीकृत होने की अवस्था में भी संबंधित व्यक्ति को इसका कारण बताना चाहिए।

3. **समय से वित्त की उपलब्धता :–** लाभार्थियों को इकाई चलाने के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था के लिए वित आवश्यकता होती है। यदि बैंक अथवा संबंधित बाजार के कर्मचारी समय से वित उपलब्ध नही करायेगें तो इकाई बन्द होने की कगार पर पहुँच जायेगी। अतः वित समय से उपलब्ध कराया जाये।

4. **भ्रष्टाचार पर अकुंष :–** लाभार्थियों के आवेदन पत्र को पास करने के लिए केन्द्र के कर्मचारी, अधिकारी एवं बैंक से ऋण स्वीकृत कराने हेतु बैंक कर्मचारी बगैर पैसे लिए कोई काम नही करते इस प्रथा को रोकने हेतु सब कुछ ऑनलाइन किया जाना चाहिए तथा आवेदन पत्र की स्थिति की सूचना लाभार्थी को फोन पर संदेश के द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5. **कच्चे माल पर सब्सिडी :–** इकाइयों के लिए माल की आवश्यकता होती है, परन्तु कृषक प्राकृतिक आपदा या संशाधनो के अभाव में पर्याप्त माल उत्पन्न नही करते क्योंकि उन्हे डर होता है कि हमें घाटा हो जायेगा। इस भय को निकालने के लिए सरकार को संबंधित कृषि पर सब्सिडी देनी चाहिए और कृषक को प्रोत्याहित करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जनगणना 2011 की रिपार्ट।
2. खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र– शाहजहाँपुर
3. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ0 रमेश सिहं
4. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ0 एस. एन. लाल

5. भारत की आर्थिक नीति – डॉ0 वी. सी. सिन्हा
6. अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र – डॉ0 वी. सी. सिन्हा
7. व्यवसायिक अर्थशास्त्र – डॉ0 ए. के. पन्त
8. प्रतियोगिता दर्पण – फरबरी 2019
9. यूथ प्रकाशन (केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाएँ) – 2019